



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19449

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-31987 वर्ष 2024

देशराज उर्फ प्रताप नारायण आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: लालजी यादव, यशपाल यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. श्री सुनील यादव, अधिवक्ता श्री यशपाल यादव, आवेदक के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 201, 120-बी भ०द०वि०, थाना-घाटमपुर, ज़िला: कानपुर नगर के तहत अपराध संख्या-280 वर्ष 2023 में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाह अ०सा०-1 और अ०सा०-2 से मुकदमे के दौरान पूछताछ की गई है और उन्होंने अपनी जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार, प्रस्तुत मामले में आवेदक की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.6.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।



5. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सका कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गवाह पक्षद्रोही गए हैं।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गवाह मुकदमे में अपनी जिरह के दौरान पक्षद्रोही गए हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

7. आवेदक- देशराज उर्फ प्रताप नारायण, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)